(11)

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 275/2009(आरसीएमएस संख्या : 2009/00084)
सरकार जरिये तहसीलदार, सांगानेर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. किरण कंवर पत्नी मनोहर सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम सांझरिया, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
2. कुलदीप सिंह पुत्र मनोहर सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम सांझरिया, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
3. अरूण कंवर पुत्री मनोहर सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम सांझरिया, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
4. गजेद्र सिंह पुत्र मनोहर सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम सांझरिया, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
5. सोनू कंवर(ना0बा0) पुत्री मनोहर सिंह जरिये संरक्षिका माता किरण कंवर, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम सांझरिया, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
6. मूल सिंह पुत्र श्री राम सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम सांझरिया, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थिति :–
1. पेरोकार सरकार।
2. सत्यनारायण शर्मा, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 16.12.2019

तहसीलदार, सांगानेर द्वारा निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में ग्राम सांझरिया की आराजी खसरा नम्बर 9 रकबा 196 बीधा 15 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नदी दर्ज है, जिसमें से 6 बीधा रामसिंह पुत्र श्री भगवतसिंह के हक में आवंटन होने से वर्तमान में कुल किता 5 रकबा 1.97 हे0 अप्रार्थीगण की खातेदारी में इन्द्राज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015–2034 में दर्ज गैर–मुमकीन नदी आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिना लगानी गैर–मुमकीन नदी दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

(12)

विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में ग्राम सांझरिया की आराजी खसरा नम्बर 9 रकबा 196 बीघा 15 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नदी दर्ज है, जिसमें से 6 बीघा दिनांक 06.06.1972 को रामसिंह पुत्र भगवतसिंह के हक में आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–117 आवंटी के नाम गैर–खातेदारी दर्ज है तत्पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 166 खातेदारी स्वीकार की गई है, आंवन्टी खातेदार की मृत्यु पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 16 इसके पश्चात् सहखातेदार मनोहरसिंह की मृत्यु पर मृतक के वारिसान के नाम नामान्तरकरण संख्या 148 किया गया है और अब भू–प्रबन्ध के पश्चात् नये खसरा नम्बर किता 5 रकबा 1.97 हे0 जमाबन्दी सम्वत् 2062–2065 में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015–2034 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी ख0न0 9 रकबा 6 बीघा वाके ग्राम साझरिया दिनांक 06.06.1972 को आवन्टन किया गया हैं। जिसका उल्लेख नामान्तरकरण सं0–117 के कॉलम सं0–14 पर हैं, नियमों के विपरीत अवैध रूप से आवंटित की गई है। जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 में यह आराजी गैर–मुमकिन नदी दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। आवंटन दिनांक 06.06.1972 को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन नदी की आराजी को आवंटन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध आवंटन के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रांरभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में आवंटन को एवं आवंटन के पश्चात गैर–खातेदारी,खातेदारी,विरासत के इन्द्राजो के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे

समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर ग्राम सांझरिया की आराजी खसरा नम्बर 9 रकबा 6 बीधा जो आवंटित की गई एवं जिसके हाल खसरा नम्बर कुल किता 5 रकबा 1.97 हे0 में है, को वापिस सिवायचक बिना लगानी गैर–मुमकिन नदी दर्ज किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक श्री सत्यनारायण शर्मा का कथन है कि रेफरेंस प्रार्थना पत्र विधि–विधान एवं तथ्यों के विपरीत प्रस्तुत किया गया है वादग्रस्त आराजी किसी भी रूप में अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में दिनांक 15.08.1947 से पूर्व का कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें वादग्रस्त आराजी गैर–मुमकीन नदी दर्ज रही हो मौके पर वादग्रस्त आराजी कभी भी नदी/नाले के रूप में नही रही है। भू–प्रबन्ध में गलती से गैर–मुमकीन नदी दर्ज किये जाने से भूमि की किस्म परिवर्तन कर नियमानुसार राम सिंह पुत्र भगवत सिंह को आवंटित की गई है, आवन्टन के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा खातेदारी दी गई है, खातेदारान की विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी बजमाना जागीरदारान जागीरदारों के नाम थी। अप्रार्थीगण के बुजुर्गान का कब्जा काश्त था। जागीर रिज्यूम होने पर आराजी की किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थीगण के पूर्वज को सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटित की गई है। वादग्रस्त आराजी के आवंटन अथवा खातेदारी/विरासत के नामान्तरकरण को कभी सरकार द्वारा चुनौती दी जाकर निरस्त नहीं कराया गया है। खातेदारी दिये जाने के पश्चात आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता और न ही रेफरेंस के माध्यम से आवंटन/खातेदारी निरस्त की जा सकती है। रेफरेंस प्रार्थना पत्र आवंटन के लगभग 40 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया है, 40 वर्ष की एक दीर्घ अवधि के पश्चात रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का कोई न्यायोचित आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अब्दुल–रहमान प्रकरण के दिशा निर्देश लागू नहीं होते है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमनें उभय पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में ग्राम सांझरिया की आराजी खसरा नम्बर 9 रकबा 196 बीधा 15 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नदी दर्ज है, जिसमें से 6 बीघा दिनांक 06.06.1972 को रामसिंह पुत्र भगवतसिंह के हक में आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण

(14)

संख्या–117 आवंटी के नाम गैर–खातेदारी दर्ज है तत्पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 166 खातेदारी स्वीकार की गई है, आंवन्टी खातेदार की मृत्यु पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 16 इसके पश्चात् सहखातेदार मनोहरसिंह की मृत्यु पर मृतक के वारिसान के नाम नामान्तरकरण संख्या 148 किया गया है और अब भू–प्रबन्ध के पश्चात् नये खसरा नम्बर किता 5 रकबा 1.97 हे0 जमाबन्दी सम्वत् 2062–2065 में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015–2034 में दर्ज गैर–मुमकिन नदी आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त बहस विद्वान् पेरोकार सरकार ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन तिथि को राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकिन नदी दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2015–2034 से होती है और इस आराजी का आवंटन रामसिंह पुत्र श्री भगवत सिंह, जाति–राजपूत को किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं0–117 ग्राम–सांझरिया से होती है। विवादग्रस्त आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2062–2065 में अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन नदी की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन नदी भूमि का आवंटन कर खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वतः ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर–मुमकिन नदी भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, सांगानेर द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय

(15)

राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी ख0न0 आराजी खं0नं0 9 रकबा 6 बीघा आवंटित भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर जमाबंदी सम्वत् 2062–2065 में दर्ज है, को निरस्त करने एवं इस आवंटन एवं इस आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक बिना लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन नदी दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकारान को दिनांक 11.02.2019 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 16.12.2019 को सुनाया गया।

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर